और कंपनी द्वारा कोई लागत वहन नहीं की जाती चूंकि पास धारकों को सामान्यतया टिकटधारी यात्रियों के खपाने के बाद ही खपाया जाता है।

फिल्म सेंसर बोर्ड को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु कदम

2212. **श्री नरेश यादवः** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या फिल्मों में दिखाई जाने वाली हिंसा और अश्लीलता से समाज में अपराधों को बढ़ावा मिलता है;

(ख) यदि हां, तो फिल्म सेंसर बोर्ड के गठन का क्या औचित्य है; और

(ग) फिल्म सेंसर बोर्ड को और प्रभावी बनाने के लिये सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० एम० सईद): (क) फिल्मों में हिंसा और अश्लीलता के प्रदर्शन के बारे में समय-समय पर शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं। तथापि, कोई प्रामाणिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जो फिल्मों में हिंसा और अश्लीलता तथा समाज में अपराधों के बीच प्रत्यक्ष अप्रासंगिक संबंध, यदि कोई हो, को सिद्ध करता हो।

(ख) सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार, सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु फिल्मों को प्रमाणित करने के लिए केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की स्थापना की गई है जो एक निश्चित सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति करता है।

(ग) केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का पुनर्गठन करने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। छह क्षेत्रीय केन्द्रों में सलाहकार पैनलों का पुनर्गठन पहले ही किया जा चुका है तथा शेष केन्द्रों में पैनलों का पुनर्गठन करने की कार्यवाही की जा रही है। फिल्मों की जांच हेतु बोर्ड द्वारा गठित समितियों में महिलाओं को 50% प्रतिनिधित्व देने के लिए नियमों को संशोधित कर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश में हवाई पट्टियों का निर्माण किया जाना

2213. **श्रीमती मालती शर्मा:**
श्री राजनाथ सिंहः

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उत्तर प्रदेश में ऐसे कितने स्थान हैं जहां पर सरकार ने हवाई पट्टियां नहीं बनाई हैं;

(ख) क्या सरकार ऐसे स्थानों पर हवाई पट्टियों का निर्माण करने का विचार रखती है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उत्तर प्रदेश के ऐसे सभी जिलों और स्थानों का ब्यौरा क्या है, जहां सरकार अगले तीन वर्षों के दौरान हवाई पट्टियों का निर्माण करने का विचार रखती है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) इस समय उत्तर प्रदेश में लखनऊ, कानपुर, पंतनगर, देहरादून, झांसी, वाराणसी और ललितपुर में हवाई अड्डों का एक नेटवर्क और आगरा, इलाहाबाद और गोरखपुर में लिखित एयरलेब है, जिनका अनुरक्षण भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित पन्द्रह (15) हवाई पट्टियां हैं। निजी नियंत्रण में कोई हवाई पट्टी नहीं है। नयी हवाई पट्टी का विकास यातायात संभावना और आर्थिक साध्यता पर निर्भर करता है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की निकट भविष्य में उत्तर प्रदेश में किसी भी नयी हवाई पट्टी के निर्माण की कोई योजना नहीं है।

World Bank Assistance for Alternative Guarantee Structure of Private Power Projects

2214. SHRI SANJAY DALMIA: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether the World Bank has shown keen interest in providing an alternative guarantee structure to private sector power projects in India by extending credit to ICICI for financing private sector investments;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the reaction of Government in this regard?